बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांकः– 427643 दिनांकः– 07.06.2019

ग्रा0वि0–07 (विविध)–07/2019

प्रेषक,

सी0पी0 खण्डूजा,
आयुक्त, मनरेगा।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उपविकास आयुक्त–सह–अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार।

विषयः– **मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी अंतर्गत 1 से 10 अगस्त, 2019 तक "वन महोत्सव–सह–सघन वृक्षारोपण अभियान" आयोजित करने के संबंध में।**

महाशय,

विभागीय पत्रांक 427302, दिनांक 04.06.2019 द्वारा मनरेगा अंतर्गत सामाजिक वानिकी के तहत वर्ष 2019–20 के लिए वृक्षारोपण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मार्ग निदेश सभी जिलों को निर्गत किया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के किनारे वृक्षारोपण संबंधित निदेश एवं सूची विभागीय पत्रांक 425927, दिनांक 27.05.2019 द्वारा निर्गत है।

इस क्रम में विभाग द्वारा मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी योजना अंतर्गत 01 से 10 अगस्त, 2019 तक जिला मुख्यालयों, सभी प्रखंडों यथा संभव सभी ग्राम पंचायतों में **"वन महोत्सव–सह–सघन वृक्षारोपण अभियान"** आयोजित कर मनरेगा अंतर्गत 50 लाख पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्न निदेश अंकित किये जाते हैः–

1. वर्ष 2019–20 में मनरेगा अंतर्गत निम्न प्रकार के वृक्षारोपण को फोकस किया जाना हैः–
   i. ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के किनारे वृक्षारोपण
   ii. निजी भूमि पर वृक्षारोपण
   iii. जल संरक्षण/संचयन संरचनाओं के किनारे वृक्षारोपण
2. विभागीय दिशा निदेश के आलोक में जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्य योजना का निरूपण कर दिनांक 20.06.2019 तक विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाय।
3. सामाजिक वानिकी हेतु जिलों द्वारा तैयार कार्य योजना/लक्ष्य अनुसार वर्षा प्रारम्भ होते ही वृक्षारोपण कार्य शुरू करते हुए दिनांक 01 से 10 अगस्त की अवधि में अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। उक्त के

letter 184

क्रम में स्वीकृत योजनाओं के आलोक में स्थल निरीक्षण, पौधों की आवश्यकता का आकलन तथा आपूर्ति, श्रमिकों का मस्टर रोल जेनरेशन, वृक्षारोपण, आदि का कार्य ससमय पूर्ण कर लिया जाए।

4. उल्लेखनीय है कि पौधों की आपूर्ति के संबंध में दिशा–निर्गत पूर्व में निर्गत है परन्तु अधिकांश जिलों में वन विभाग के पास बैंक खाता नहीं होने की वजह से पौधों का मूल्य ऑनलाइन नहीं ले पाने के कारण पौधों की आपूर्ति होने में कठिनाई होती थी। वन विभाग में बैंक खाता की समस्या दूर हो गई है इसलिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग की नर्सरी से पौधे प्राप्त किये जा सकते है। पर्यावरण, वन एवं ज़लवायु परिवर्त्तन विभाग से पौधें की आपूर्ति की दशा में उनके द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान किया जायेगा। उप विकास आयुक्त द्वारा पौधों की आपूर्ति का आदेश वन प्रमंडल पदाधिकारी को दिया जा सकता है और वन प्रमंडल पदाधिकारी के संबंधित बैंक खाते में कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा एफ0टी0ओ0 कर राशि का भुगतान किया जा सकता है। वन विभाग की पौधशाला से परिवहन पर होने वाले वास्तविक व्यय अथवा 2 (दो) रूपये प्रति पौधा अधिकतम व्यय किया जा सकता है।

5. जिला मुख्यालय एवं प्रखंड स्तर पर (प्रखंड मुख्यालय या किसी एक ग्राम पंचायत के किसी एक स्थान पर) **''वन महोत्सव–सह–सघन वृक्षारोपण अभियान''** कार्यक्रम के मुख्य समारोह का आयोजन किया जाए। प्रखंड के सभी पंचायतों में सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत ग्रामीणों के सहयोग से 01 से 10 अगस्त तक वृक्षारोपण कार्य सम्पादित किया जाए।

6. जिला मुख्यालय एवं प्रखंड स्तर पर किसी एक स्थान (प्रखंड मुख्यालय या किसी एक ग्राम पंचायत) पर वन महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य समारोह स्थल का चयन एवं तिथि का निर्धारण जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में करवाने का प्रयास किया जाये। इस अभियान के लिए जिला स्तर पर किसी पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में मनोनित किया जाये जो सघन वृक्षारोपण की प्रगति का अनुश्रवण कर जिला पदाधिकारी एवं विभाग को प्रतिदिन इसकी प्रगति से अवगत करायेगें।

7. कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सम्यक रूप से दायित्व निर्धारित किये जाए। उक्त के क्रम में प्रखंड अंतर्गत **''वन महोत्सव–सह–सघन वृक्षारोपण अभियान''** कार्यक्रम के आयोजन करने की जवाबदेही संबंधित प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी।

8. प्रखंड के सभी पंचायतों में सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत पंचायतवार वृक्षारोपण कार्यक्रम की तिथि का निर्धारण कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रखंड का शत–प्रतिशत लक्ष्य 10 अगस्त तक प्राप्त हो सके। कनीय अभियंता/पंचायत तकनिकी सहायक

को विभिन्न पंचायतों के लिए नोडल पदाधिकारी के रूप में मनोनित किये जाए जो संबंधित पंचायतों के ग्रामीणों की भागीदारी एवं शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगें।

9. आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस हेतु कार्यक्रम में स्थानीय माननीय विधायक/सांसद को भाग लेने हेतु जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा औपचारिक तौर पर आमंत्रित किया जाए। साथ ही ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार यथा डुग–डुगी इत्यादि के साथ किये जाए ।
10. वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजन में Banner/Flex डिजाईन कर उपयोग किया जाये। सघन वृक्षारोपण अभियान में भी बैनर का उपयोग किया जाए। समारोह में वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा के साथ–साथ मानव जीवन को होने वाले लाभ के संबंध में आम जन को बताया जाए। कार्यक्रम के फोटोग्राफ Whatsapp Groups पर Share किये जाए।
11. सामाजिक वानिकी अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड से कम से कम एक Success Story का विवरण 31.08.2019 तक विभाग को उपलब्ध कराया जाय। इनमें से जिला स्तर को एक एवं राज्य स्तर पर तीन सर्वोतम Success Story के आधार पर "ग्रामीण विकास विभाग" एवं "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग" द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित एवं प्रचारित किया जायेगा।
12. इस अभियान में जीविका के DPM, BPM के माध्यम से SHG को भी कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाये। साथ ही सभी स्थानीय विभागों के कर्मियों और विद्यालयों के छात्रों को भी अभियान में शामिल किया जाए।
13. "**वन महोत्सव–सह–सघन वृक्षारोपण अभियान**" समारोहः– (a) **जिला स्तरीय समारोह के आयोजन** हेतु अधिकतम व्यय 50,000/– रूपये (b) **प्रखंड स्तरीय समारोह के आयोजन** हेतु अधिकतम व्यय 20,000/– **रूपये निर्धारित किया गया है** जो मनरेगा के आकस्मिकता निधि से **समायोजित किया जायेगा।**

अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करते हुए मनरेगा के तहत सामाजिक **वानिकी अंतर्गत वर्षा प्रारम्भ** होने पर वृक्षारोपण कार्य शुरू करते हुए 01 से 10 अगस्त 2019 **की** अवधि में "**वन महोत्सव–सह–सघन वृक्षारोपण अभियान**" के तहत कार्ययोजना अनुसार संपूर्ण वृक्षारोपण के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित किया जाए।

<u>अनुलग्नक–यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन,

07-06-19.

(सी0पी0 खण्डूजा)

आयुक्त, मनरेगा

letter 184

ज्ञापांकः– 427643 दिनांकः– 07.06.19

ग्रा0वि0–07 (विविध)'.–07/2019

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों को उप विकास आयुक्त के अनुरोध करने पर पौधें आपूर्ति करने का निदेश दिया जाए। उनका मूल्य कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा एफ0टी0ओ0 कर वन प्रमंडल पदाधिकारी के बैंक खाते में भुगतान किया जा सकता है।

आयुक्त, मनरेगा

ज्ञापांकः– 427643 दिनांकः– 07.06.19

ग्रा0वि0–07 (विविध)'.–07/2019

प्रतिलिपिः– सभी जिलों के प्रभारी सचिव/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त, मनरेगा

ज्ञापांकः– 427643 दिनांकः– 07.06.19

ग्रा0वि0–07 (विविध)'.–07/2019

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त, मनरेगा

ज्ञापांकः– 427643 दिनांकः– 07.06.19

ग्रा0वि0–07 (विविध)'.–07/2019

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त, मनरेगा

ज्ञापांकः– 427643 दिनांकः– 07.06.19

ग्रा0वि0–07 (विविध)'.–07/2019

प्रतिलिपिः– सचिव, के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07.06.19.

आयुक्त, मनरेगा